बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसायटी)

पत्रांक 371 पटना, दिनांक 26-03-2019

BRDS-ग्रा0वि0(विविध)05/19

प्रेषक,

सी0पी0 खण्डूजा,
आयुक्त, मनरेगा।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक
सभी उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक
बिहार।

विषय:- दिव्यांगजन को महात्मा गाँधी नरेगा योजना अन्तर्गत कार्य देने के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिव्यांगजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) के तहत् मनरेगा के प्रयोजनार्थ 40% या अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को कमजोर व्यक्तियों की विशेष श्रेणी में रखा गया है। मनरेगा MIS के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि बिहार के 38559 दिव्यांगजन को मनरेगा अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है लेकिन वित्तीय वर्ष 2018-19 में केवल 5833 ही दिव्यांगजन को मनरेगा में कार्य आवंटित हुआ है।

अतः निदेश दिया जाता है कि दिव्यांगजनों के लिए विशेष शिविर लगाकर अधिक से अधिक कार्य उनकी क्षमता के अनुसार (अनुलग्नक-1) दिया जाय जिससे उनको कार्य करने में कोई परेशानी न हो। साथ में ऐसे दिव्यांगजन जो मनरेगा में कार्य करने को इच्छुक हैं लेकिन उनका जॉब कार्ड नहीं बना है, उनका भी इस विशेष शिविर में जॉब कार्ड बनाया जाय।

अनुलग्नक:- यथोक्त।

विश्वासभाजन,
26.03
(सी0पी0 खण्डूजा)
आयुक्त, मनरेगा।